डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. भावना पत्नि विनोद कुमार जाति महाजन निवासी उर्दैन हालवासी गहरौली वर्फानी धर्मशाला के पास मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
(माननीय अदालत के आदेश से वादीया का नाम डिलीट किया गया)
2. राकेश कुमार गोयल पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. मनीष कुमार गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी 46 गुरूकालोनी गोनेर रोड करीला की ढाणी वार्ड न0 34 जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी मोरडा हालवासी टोडाभीम।
2. अशोक कुमार पुत्र नारायण सिंह सोलंकी जाति जाट निवासी मकान न0 571 बी पूठकला दिल्ली 86
3. शारदा देवी पत्नि सुरेश चन्द जाति डौम निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम।
4. सावित्री देवी पत्नि मदनपुरी जाति गोस्वामी निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय।
5. कान्ता देवी पत्नि मुरारी लाल जाति महाजन निवासी गैरोटा तहसील सिकराय।
6. लोकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय।
7. सोमादेवी पत्नि राजेश कुमार जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय।
8. नीलम बंसल पत्नि दीनदयाल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय।
9. सोनी मिश्रा पत्नि पवन जाति ब्राह्मण निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय।
10. रमेश चन्द पुत्र चोथमल जाति कोली निवासी नांदरी तहसील सिकराय।
11. रामदयाल पुत्र चोथमल जाति कोली निवासी नांदरी तहसील सिकराय
12. नवल पुत्र चोथमल जाति कोली निवासी नांदरी तहसील सिकराय।
13. नत्थी देवी पत्नि हरसहाय जाति मीना निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम।
14. तहसीलदार टोडाभीम।
15. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली।
16. श्रीमति कृष्णा देवी पत्नि दिनेश चन्द जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय

प्रतिवादी गण

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 26/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः ग्राम गहरौली की भूमि ख0न0 211/353/1 रकवा 0.0134 का श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा हिस्सा 1/2 एवं मनीष कुमार गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी 46 गुरू कोलोनी गोनेर रोड करोला की ढाणी वार्ड न0 34 जयपुर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/2 रकवा 0.0125 का रमेश चन्द पुत्र चौथमल जाति कोली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/3 रकवा 0.0042 का रामदयाल पुत्र चौथमल कोली निवासी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/4 रकवा 0.0042 का नवल पुत्र चौथमल जाति कोली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/5 रकवा 0.0325 का शारदा देवी पत्नि सुरेश चन्द जाति डौम निवासी निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/6 रकवा 0.0272 का सावित्री देवी पत्नि मदनपुरी जाति गोस्वामी निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी न0 1 के दर्ज हिस्सा 1418/3100 के स्थान पर 753/3100 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न रहे।

निज..................मुबलिंग........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.11.2019 को जारी की गई।

13/11/19

दस्तखत........उपजिला कलक्टर

ओहदा........टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 26/13 तारीख रजू:– 03.07.2013

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. भावना पत्नि विनोद कुमार जाति महाजन निवासी उर्दैन हालवासी गहरौली वर्फानी धर्मशाला के पास मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
   (माननीय अदालत के आदेश से वादीया का नाम डिलीट किया गया)
2. राकेश कुमार गोयल पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. मनीष कुमार गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी 46 गुरूकालोनी गोनेर रोड करीला की ढाणी वार्ड न0 34 जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहाम्ण निवासी मोरडा हालवासी टोडाभीम।
2. अशोक कुमार पुत्र नारायण सिंह सोलंकी जाति जाट निवासी मकान न0 571 बी पूठकला दिल्ली 86
3. शारदा देवी पत्नि सुरेश चन्द जाति डौम निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम।
4. सावित्री देवी पत्नि मदनपुरी जाति गोस्वामी निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय।
5. कान्ता देवी पत्नि मुरारी लाल जाति महाजन निवासी गैरोटा तहसील सिकराय।
6. लोकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय।
7. सोमादेवी पत्नि राजेश कुमार जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय।
8. नीलम बंसल पत्नि दीनदयाल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय।
9. सोनी मिश्रा पत्नि पवन जाति ब्राह्मण निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय।
10. रमेश चन्द पुत्र चोथमल जाति कोली निवासी नांदरी तहसील सिकराय।
11. रामदयाल पुत्र चोथमल जाति कोली निवासी नांदरी तहसील सिकराय
12. नवल पुत्र चोथमल जाति कोली निवासी नांदरी तहसील सिकराय।
13. नत्थी देवी पत्नि हरसहाय जाति मीना निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम।
14. तहसीलदार टोडाभीम।
15. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली।
16. श्रीमति कृष्णा देवी पत्नि दिनेश चन्द जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय

प्रतिवादी गण

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादीगण)
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 2,5,6,8,10,11,12,13,16)
श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट प्रतिवादी न0 4

निर्णय दिनांक:– 13.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 211/353 रकवा 0.31 है0 स्थित ग्राम गहरौली तहसील टोडाभीम मे वादीगण न0 2 व 3 का 134/3100 वॉ हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 राजेन्द्र का 753/3100, प्रतिवादी न0 2 का 455/3100, प्रतिवादी न0 3 का 325/3100, प्रतिवादी न0 4 का 272/3100, प्रतिवादी न0 5 का 134/3100, प्रतिवादी न0 6 का 134/3100, प्रतिवादी न0 7 का 228/3100, प्रतिवादी न0 8 का 114/3100, प्रतिवादी

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

न0 9 का 114/3100, प्रतिवादी न0 10, 11, 12 का 209/3100, प्रतिवादी न0 13 का 228/3100 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। मौके पर वादीगण न0 2 व 3 एवं प्रतिवादी न0 1 ता 13 अपने–अपने हिस्सो पर काबिज एवं दखिल चले आ रहे है। यह कि वादीया न0 1 ने आराजी ख0न0 211/353 रकवा 0.31 है0 ग्राम गहरौली मे स्थित अपने हिस्से 134/3100 सम्पूर्ण भाग को दिनांक 26.5.2016 को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र मुबलिंग 8 लाख 50 हजार रूपये मे विकय कर कब्जा वादीगण न0 2 व 3 को संभलादिया गया। यह है कि वर्णित ख0न0 211/353 की खातेदारी पूर्व मे प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज थी। जिसमे से प्रतिवादी न0 1 ने वादीया न0 1 को 134/3100 हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचने तथा शेष बचे हिस्से मे से प्रतिवादी न0 2 ता 13 को रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचने पर प्रतिवादी न0 1 के नाम 753/3100 हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज होना चाहिए, लेकिन पटवारी हल्का की गलती व लापरवाही के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1418/3100 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। उक्त आराजीयात मे वादीगण न0 2 व 3 व प्रतिवादीगण ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है। अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादी न0 2 व 3 की भूमि की पूर्व दिशा मे प्रतिवादी न0 6 लोकेश कुमार की भूमि , पश्चिम मे खेत हरीचरण लाल गर्ग, उत्तर मे रास्ता अन्दरूनी, दक्षिण मे प्रतिवादी न0 1 राजेन्द्र कुमार की भूमि थी। लेकिन वादीगण 2 व 3 व प्रतिवादीगण की आराजी भूमि रिकार्ड व शामलाती होने के कारण आये दिन विवाद बना रहता है। वादी न0 2 व 3 (वादीया भावना व भावना के पति विनोद) ने प्रतिवादीगण सहखातेदारो से रिकार्ड मे हुई गलती को दुरूस्त व शामलाती भूमि का विधिवत बटवारा करवाने के लिए प्रतिवादीगण के पास गये लेकिन प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती व बटवारा कराने के लिए तैयार नही हुए। इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि माननीय न्यायालय हाजा ने प्रतिवादी न0 16 के आवेदन पर उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी न0 16 को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी न0 16 द्वारा प्रतिवादी न0 8 नीलम के 114/3100 हिस्सा को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र तारीखी 27.3.2013 को खरीद किए जाने से एवं काबिज होने से खातेदार काश्तकार बन गई है।

अतः दावा वादीगण न0 2व 3 खिलाफ प्रतिवादीगण वावत इन्द्राज दुरूस्ती हाल जमाबन्दी प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 1418/3100 के स्थान पर 573/3100 हिस्सा दर्ज किया जावे। तथा वादीगण न0 2 व 3 को 134/3100 हिस्सा का मौके पर कब्जे अनुसार प्राथमिक डिकी फरमाकर बाद जॉच रिपोर्ट कमीश्नर दावा डिकी कर अलग खातेदारी दर्ज फरमायी जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण न0 2 व 3 के हिस्सा 134/3100 कब्जे की खातेदारी भूमि से बेदखल नही करे व शांतिपूर्वक उपयोग करने देवे।

यह है कि वादी न0 1 भावना की ओर से यह दावा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत हुआ था जो दिनांक 19.10.2015 को प्राथमिक डिकी किया गया था। प्राथमिक डिकी के अनुसार बटवारा स्कीम बटवारा स्कीम प्रस्तुत होने से पश्चात वादी न0 2 व 3 की ओर से दिनांक 7.2.18 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किए जाने पर वाद सुनवाई स्वीकार किया गया। इसके पश्चात प्रकरण मे संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादी न0 3,4,10,11,12,16, की ओर से जबाब के साथ काउन्टर क्लेम कर अपना–अपना हिस्सा अलग–अलग खातेदारी कायम करने हेतु प्रस्तुत किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील उभयपक्ष ने दावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया कि वादीया भावना के स्थान पर वादी न0 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा पत्रावली मे तहसीलदार टोडाभीम के पत्रांकः– 2494 दिनांक 28.6.17 के साथ प्राप्त बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिकी फरमादिया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया न0 1 भावना देवी गुप्ता पत्नि विनोद कुमार गुप्ता ने अपनी खातेदारी की भूमि ग्राम गहरौली के ख0न0 211/353 रकवा 0.31 है0 मे से अपना हिस्सा 134/3100 रजिस्टरर्ड

अ[illegible] जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2016 से श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा हिस्सा 1/2 एवं मनीष कुमार गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी 46 गुरू कोलोनी गोनेर रोड करोला की ढाणी वार्ड न0 34 जयपुर हिस्सा 1/2 को विक्रय कर दिया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम मे प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 1418/3100 के स्थान पर 753/3100 दर्ज कर जमाबन्दी शुद्व किये जाने का वर्णन किया है। विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2016 के आधार पर खातेदार भावना देवी पत्नि विनोद कुमार गुप्ता के स्थान पर वादी न0 2 व 3 को ग्राम गहरौली की भूमि ख0न0 211/353 रकवा 0.31 है0 मेसे हिस्सा 134/3100 का हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित पाता हूँ। तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी न0 1 के दर्ज हिस्सा 1418/3100 के स्थान पर हिस्सा 753/3100 दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम गहरौली की भूमि ख0न0 211/353/1 रकवा 0.0134 का श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा हिस्सा 1/2 एवं मनीष कुमार गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी 46 गुरू कोलोनी गोनेर रोड करोला की ढाणी वार्ड न0 34 जयपुर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/2 रकवा 0.0125 का रमेश चन्द पुत्र चौथमल जाति कोली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/3 रकवा 0.0042 का रामदयाल पुत्र चौथमल कोली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/4 रकवा 0.0042 का नवल पुत्र चौथमल जाति कोली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/5 रकवा 0.0325 का शारदा देवी पत्नि सुरेश चन्द जाति डौम निवासी निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम का खातेदार काश्तकार, ख0न0 211/353/6 रकवा 0.0272 का सावित्री देवी पत्नि मदनपुरी जाति गोस्वामी निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी न0 1 के दर्ज हिस्सा 1418/3100 के स्थान पर 753/3100 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/11/19

उपजिला कलक्टर
(दुर्गा प्रसाद मीना)
टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.02 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: